संख्या– 1978 / II(2)/2017–04(01)/2011

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 05 सितम्बर, 2017

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नाबार्ड वित्त पोषित निर्माणाधीन नलकूप, निर्माण, नहर निर्माण लिफ्ट निर्माण एंव बाढ़ सुरक्षा योजनाओं में धनावंटन विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2775/प्र0अ0/बजट/बी–1, (नाबार्ड) दिनांक 24 अगस्त,, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड वित्त पोषित नलकूप, नहर, लिफ्ट एंव बाढ़ सुरक्षा की निर्माणाधीन योजनाओं पर शासनादेश संख्या 909/II-2016-04(1)22011 दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा अवमुक्त धनराशि के व्यय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजनाओं के अवशेष कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में संगत मदों में अवशेष प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 6466.66 लाख (रू0 चौंसठ करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन **संलग्नक** में उल्लिखित विवरणानुसार मदों में व्यय हेतु एक मुस्त आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) **उक्त एक मुस्त आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि** के **सापेक्ष RIDF-XIX, XX, XXI & XXII के अन्तर्गत निर्माणाधीन प्रथमतः उन योजनाओं पर पूर्ण धनराशि आवंटित की जायेगी जिन योजनाओं के 90–100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके है।**

(ii) दूसरी वरीयता उन योजनाओं को दी जायेगी जिनकी वित्तीय/भौतिक प्रगति 80–90 **प्रतिशत तक हो। कम वित्तीय प्रगति वाली योजनाओं पर धनराशि अवमुक्त न की जाय ताकि धीमी गति से चल रही योजनाओं की धनराशि तेज गति से चलने वाली योजनाओं पर व्यावर्तन की स्थिति उत्पन्न हो। शेष धनराशि आवश्यकतानुसार अन्य योजनाओं पर** अवमुक्त की जायगी।

(iii) **उपरोक्तानुसार योजनाओं पर धनराशि अवमुक्त करते हुए अवमुक्त धनराशि का योजनावार विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।**

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण वित्त विभाग एवं नाबार्ड को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

(v) उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय। साथ ही अधिप्राप्ति नियमावली एवं अन्य वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय।

(vi) निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

(vii) आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।

(viii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलबध कराया जाय।

....2

(x) धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(xi) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा।

(xii) कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

(xiii) आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–10 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xiv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xv) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xvi) उल्लिखित कार्यों/योजनाओं के आगणनों में स्वीकृत डिजाईन/मानक एवं दरों तथा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षको की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग अनुभाग–1 के पत्र संख्या– 610/3(150)XXVII (1)/ 2017 दिनांक 30 जून, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1478(1)/II–2016–04(01)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
5– सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
5– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वित्त अनुभाग–1 एवं वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10– वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
11– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या 1978 (1)/II-(2)2017-04(01)/2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 स0	अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक	अवशेष प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-04-**नलकूपों का निर्माण**-051-निर्माण -98- नाबार्ड पोषित -01-(आरआईडीएफ योजना-24-वृहद निर्माण कार्य	2833.33	2833.33
2	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-06-निर्माणाधीन **सिंचाई नहरें**/अन्य योजनायें-051-निर्माण-98-नाबार्ड पोषित-01- नहरों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य।	4166.67	676.67
3	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-07-उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार-051-निर्माण-98-नाबार्ड पोषित-01- नहरों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य।	133.33	83.33
3	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-01-**बाढ़ नियंत्रण**-051- निर्माण-98-नाबार्ड पोषित-01-बाढ़ नियंत्रण कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य।	3333.33	2873.33
		10466.66	**6466.66**

(रू0 चौसठ करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार मात्र)

(हस्ताक्षर)

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव